बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
आदेश

पटना, दिनांक–.....

का0आ0सं0–AL-942/183/2022-SEC_8-PERD-REG 5309 /– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 23 के अन्तर्गत सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार के समक्ष श्री बिरजू कुमार, तत्कालीन अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर सम्प्रति अभिलेखपाल जिला निबंधन कार्यालय, कैमूर, भभुआ द्वारा विभागीय आदेश सं0–390 दिनांक–16.01.2026 के द्वारा संचयात्मक प्रभाव से दो (02) वेतन वृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किये जाने के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया गया।

2. निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–28.08.2020 को जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर के कार्यालय निरीक्षण के क्रम में जिला अवर निबंधक, भोजपुर के कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सहायक निबंधन महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना एवं प्रमंडलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमंडल, पटना भी उपस्थित थे। निबंधन कार्यालय में हो रहे डिजिटाईजेशन एवं उसके साईनऑफ के कार्यों के समीक्षा के क्रम में श्री बिरजू कुमार, तत्कालीन अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर सम्प्रति अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, कैमूर, भभुआ से डिजिटाईजेशन एवं साईनऑफ के संबंध में पूछे जाने पर उनके द्वारा संतोषप्रद जबाव नहीं दिया गया, जबकि जिला अवर निबंधक, भोजपुर द्वारा लिपिकों के लिए आवंटित किये गये कार्यों के लिए निर्गत कार्यालय आदेश सं0–16/2019 दिनांक–19.08.2019 में श्री बिरजू कुमार, तत्कालीन अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर को आवंटित कार्यों के क्रम सं0–(4) पर डिजीटाईजेशन से संबंधित कार्य हेतु जिल्द उपलब्ध कराना/पंजी संधारण एवं निष्पादन का कार्य आवंटित किया गया था। अभिलेखपाल जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी श्री कुमार द्वारा अभिलेखपाल के कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का पालन नहीं किये जाने के आरोप के आलोक में विभागीय आदेश सं0–2776, दिनांक–11.07.2024 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गयाजी को संचालन पदाधिकारी तथा जिला अवर निबंधक गयाजी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मगध प्रमंडल, गयाजी–सह–संचालन पदाधिकारी के कार्यालय पत्रांक–87, दिनांक–19.08.2025 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि आरोपी कर्मी श्री कुमार के स्पष्टीकरण तथा बचाव बयान में उनके द्वारा उल्लेखित तथ्यों की विवेचना करने से स्पष्ट होता है कि आरोपित कर्मी पर लगाये गये आरोप अपराध अथवा कदाचार की श्रेणी का तो नहीं है फिर भी कर्मी के द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही अथवा गैर–जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया जा सकता है। फलतः आरोपी कर्मी श्री कुमार के विरूद्ध आरोप अंशतः प्रमाणित है।

3. तत्पश्चात् आरोपी कर्मी श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोप के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए उनसे विभागीय पत्रांक–5502 दिनांक–19.09.2025 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी जिसके अनुपालन में आरोपी कर्मी द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा ना तो कोई ठोस साक्ष्य समर्पित किया गया और ना ही अपने बचाव बयान में कोई नया तथ्य का उल्लेख किया गया। उनके द्वारा मात्र संसूचित कर दिया गया कि विभागीय पत्रांक–2776 दिनांक–11.07.2024 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी--सह–जिला अवर निबंधक, गयाजी को दिनांक–19.07.2024 एवं दिनांक–25.07.2025 को बचाव बयान उपलब्ध किया जा चुका है।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत आरोपी कर्मी श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए सरकारी कार्यों व दायित्वों के निर्वहन में पूर्णतः लापरवाही के प्रमाणित आरोपों के आलोक में आरोपी कर्मी श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत नियम के अधीन संचयात्मक रूप से दो (02) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर दिनांक–14.07.2026 को सुनवाई की गयी।

5. संचिका/अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि आरोपी कर्मी श्री कुमार द्वारा अभिलेखपाल जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए भी उनके द्वारा अभिलेखपाल के कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का पालन नहीं किया गया जिसके आलोक में विभागीय आदेश सं0–2776, दिनांक–11.07.2024 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोप एवं आरोपी कर्मी से

21/8/26

(6)

प्राप्त द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं0–390 दिनांक–16.01.2026 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत नियम के अधीन संचयात्मक रूप से 02 (दो) वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पारित दंडादेश की समीक्षा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 27 के अधीन निम्न मानकों पर की गयीः–

(क) अनुशासनिक प्राधिकार ने दंडादेश पारित करने के क्रम में नियमावली में विहित प्रक्रियाओं का सर्वथा पालन किया है, उनके द्वारा भारत के संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं किया है।

(ख) अनुशासनिक प्राधिकार का निष्कर्ष अभिलेख पर रखे गये साक्ष्य द्वारा समर्थित है।

(ग) आरोपित कर्मी के विरुद्ध अधिरोपित दंड समानुपातिक एवं पर्याप्त है।

7. अपीलार्थी के अपील आवेदन के आलोक में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के क्रम अपीलार्थी के जीवन काल में घटित घटनाओं का वर्णन करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक–390 दिनांक–16.01.2026 के द्वारा संचायत्मक प्रभाव से 2 (दो) वेतन वृद्धि पर रोक से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

8. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी कर्मी के विरूद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में आरोपी कर्मी द्वारा तथ्य परक जबाव नहीं दिया गया है और ना ही कोई साक्ष्य अभिलेख समर्पित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत पाया गया कि आरोपी कर्मी द्वारा सरकारी कार्यों व दायित्वों के निर्वहन में पूर्णतः लापरवाही बरती गयी है।

9. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत अपीलार्थी श्री बिरजू कुमार, तत्कालीन अभिलेखपाल जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर सम्प्रति अभिलेखपाल जिला निबंधन कार्यालय, कैमूर, भभुआ के अपील आवेदन को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 27 (3) के अन्तर्गत खारिज करते हुए निबंधन महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेश को सम्पुष्ट किया गया है।

10. अतएव उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री बिरजू कुमार, तत्कालीन अभिलेखपाल जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर सम्प्रति अभिलेखपाल जिला निबंधन कार्यालय, कैमूर, भभुआ के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

11. इसमें विभागीय सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– AL-942/183/2022-SEC_8-PERD-REG 5309 – पटना, दिनांक– 21.08.26

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/ सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ/जिला अवर निबंधक, भोजपुर/जिला अवर निबंधक, कैमूर, भभुआ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री बिरजू कुमार, तत्कालीन अभिलेखपाल, जिला निबंधन कार्यालय, भोजपुर सम्प्रति अभिलेखपाल जिला निबंधन कार्यालय, कैमूर, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/8/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

21/8/26